संख्या-28/2018/1005 /क0नि0प्र0/26-3-2018-18(51)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त,2018**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु शासनादेश संख्या-13/2018/481/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा जनपद गोण्डा के विकास खण्ड- नवाबगंज,बजीरगंज, मनकापुर तथा मुजेहना के कुल 20 ग्रामों में पिच रोड,सी.सी.रोड, इण्टर लाकिंग तथा रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्यो की कुल परियोजना लागत रू0 1255.85 लाख (रू0 बारह करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 313.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2018 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-6 में प्रश्नगत कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) को नामित किया गया था, के स्थान पर अब प्रश्नगत कार्यो हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोण्डा को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) तथा अधिशासी अभियन्ता, यू.पी. सिडको जनपद गोण्डा प्रश्नगत कार्यो हेतु जनपद स्तर पर प्रचलित टेण्डर प्रक्रिया को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए प्रश्नगत कार्यो हेतु उपलब्ध करायी गयी समस्त धनराशि रू0 313.00 लाख (तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग गोण्डा को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

4- उक्त शासनादेश संख्या-13/2018/481/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च,2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

5- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या- 28/2018/1005(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, गोण्डा।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोण्डा।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6- अधिशासी अभियन्ता, यू.पी. सिडको जनपद गोण्डा।
7- प्रबन्ध निदेशक,यू.पी. सिडको, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद गोण्डा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
10- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in